न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम सुरस्या S/o मुक्ता जोगी मसारी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनाँक :- 27/2/19

प्रकरण संख्या :- RA/24/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकबा 0-73 किस्म जमीन रास्ता में से 0-01 रकबे पर श्री सुरस्या S/o मुक्ता जोगी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ईंधनवाडा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनाँक 4/6/18 ठाकुर को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारोंदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी सुरस्या S/o मुक्ता जाति जोगी निवासी मसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... नहीं उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1231 रकबा 0-73 में से 0-01 रकबे किस्म गै.मु.रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 9 Paise का 50 गुणा 5/- पाँच रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. दारोंदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. E को पालनार्थ
बरमावदी नकल पेश हो

रा. लै. नं. 4 के पृष्ठ 40 क्रम 13
वर्ष 2018-19 रुपये 5/-
की कायमी की गई

1/3/19
तहसील ...
तहसील कठूमर